न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

फौजदारी मुकदमा संख्या 04/2017

सायल	बनाम	गैर सायल
सरकार जरिये थानाधिकारी पु0 था0 समदड़ी		पवन कुमार उर्फ कालु पुत्र जीवाराम जाति जाट उम्र 23 साल निवासी आदर्श कॉलोनी समदड़ी स्टेशन पुलिस थाना समदड़ी

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 ख (v) व (viii)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित– 1. श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर सायल ओर से।
2. श्री दानसिंह राठौड़ अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

निर्णय

दिनांक 21.5.2018

1. सायल की ओर से दिनांक 9.7.2017 को गैर सायल पवन कुमार उर्फ कालु पुत्र जीवाराम जाति भाट निवासी आदर्श कॉलोनी समदड़ी स्टेशन पुलिस थाना समदड़ी जिला बाड़मेर के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 ख (v) व (viii)/3 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल आर्ले दर्जे का नकबजन, बदमाश एवं जुआरी है। इसकी अपराधिक गतिविधियॉ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके जुर्म से समदड़ी की आम जनता परेशान है। गैर सायल चोरी करने एवं सार्वजनिक स्थानो पर ताश के पतो पर रूपये दांव पर लगाकर जुआ खेलता है, जिससे एक को लाभ व एक को हानि होने से आस–पास मारपीट एवं झगड़े होते है। इसको न्यायालय द्वारा सजायाब करने के उपरान्त भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो कभी भी बड़ी गम्भीर वारदात कर सकता है, जिससे समाज एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गैर सायल के विरूद्व निम्न 07 प्रकरण विभिन्न धाराओ में दर्ज होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये जिसमें न्यायालय द्वारा 02 प्रकरणो में दोषी पाया गया एवं सजा हुई है–

1. मुकदमा संख्या 180/25.7.2013 अन्तर्गत धारा 4/25 आर्मस एक्ट पुलिस थाना सरदार पुरा जोधपुर जैर ट्रायल ।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

2. मुकदमा संख्या 181/24.7.2013 अन्तर्गत धारा 454, 380 भादंसं पुलिस थाना सुरसागर जोधपुर जैर ट्रायल ।
3. मुकदमा संख्या 234/15.9.2013 अन्तर्गत धारा 454, 380 भादंसं पुलिस थाना सुरसागर जोधपुर जैर ट्रायल ।
4. मुकदमा संख्या 180/23.8.2014 अन्तर्गत 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग . अधिनियम पुलिस थाना समदड़ी निर्णय दिनांक 20.12.2015 सजा।
5. मुकदमा संख्या 116/28.6.2015 अन्तर्गत धारा 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग . अधिनियम पुलिस थाना समदड़ी निर्णय दिनांक 31.8.2015 सजा ।
6. मुकदमा संख्या 85/02.6.2016 अन्तर्गत धारा 457, 380 भादंसं पुलिस थाना समदड़ी जैर ट्रायल।
7. मुकदमा संख्या 86/11.6.2016 अन्तर्गत धारा 457, 380 भादंसं पुलिस थाना समदडी जैर ट्रायल।

उक्त आपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से निष्कासित किये जाने हेतु इस्तगासा पेश किया गया।

2. प्रकरण पंजीबद्व होकर, गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत नोटिस जारी किया गया।
3. गैर सायल के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 24.01.2018 को नोटिस का जवाब पेश कर जाहिर किया कि गैर सायल के विरूद्व पुलिस द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम में इस्तगासा पेश किया गया है। गैर सायल के विरूद्व दिनांक 11.6.2016 के बाद कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। गैर सायल के विरूद्व किसी ग्रामवासी द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। गैर सायल गरीब परिवार से है। गैर सायल के द्वारा ऐसी कोई गतिविधि या अपराध कारत नहीं किया गया है, जिससे क्षैत्र में अशांति व आम जनता में भय व्याप्त हो। गैर सायल के विरूद्व पेश प्रकरण राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की परिभाषा में नहीं आने से गैर सायल के विरूद्व की जारी रही कार्यवाही निरस्त की जाऐं।
8. गैर सायल द्वारा नोटिस को अस्वीकार करने पर हमने दोनो पक्षों को अपनी–अपनी शहादत पेश करने के आदेश दिये। सायल की ओर से परिवाद के समर्थन में श्री चन्द्रसिंह तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना समदड़ी के बयान करवाऐ गए व सम्बन्धित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया।
9. सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क हैं कि गैर सायल अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, गैर सायल के विरूद्व विभिन्न धाराओ के तहत दर्ज 07 प्रकरणों में से राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम की धारा 13 के तहत 2 प्रकरणो

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

में न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया जाकर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। सायल पक्ष के गवाह श्री चन्द्रसिंह तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी ने अपने अभिकथनो में गैर सायल के विरूद्व राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम 1949 के तहत 02 प्रकरणों में सजा होकर जुर्माना से दण्डित होने के फलस्वरूप गैर सायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (v) में वर्णित स्थितियॉ गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का प्रर्याप्त आधार होना जाहिर किया।

10. गैर सायल के विद्वान वकील ने बहस के दौरान तर्क किया कि गैर सायल से आमजन एवं समाज में भय व्याप्त है, इस संबंध में पुलिस द्वारा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है। गैर सायल के विरूद्व वर्ष 2016 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। गैर सायल गरीब परिवार से है। सायल द्वारा पेश किये गये इस्तगासा में ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है, जो गैर सायल को गुण्डा साबित करता हो। थानाधिकारी द्वारा झूठे तथ्य अंकित कर, गुण्डा एक्ट के तहत प्रकरण बनाया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

11. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध आपराधिक अभिलेख का भी भलीभांति अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता हैं कि गैर सायल पवन कुमार उर्फ कालु आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जो जुआ खेलने के कार्यो में संलिप्त है। जुआ जैसे घृणित कार्यो में संलिप्त रहने से व्यक्ति के परिवार एवं समाज को कभी भारी क्षति हो सकती है। गैर सायल के विरूद्व पुलिस थाना सरदारपुरा जोधपुर में 01 प्रकरण अन्तर्गत धारा 4/24 आर्मस एक्ट में, पुलिस थाना सुरसागर जोधपुर में 02 प्रकरण अन्तर्गत धारा 454, 380 भादंस, पुलिस थाना समदडी में 02 प्रकरण अन्तर्गत धारा 457, 380 भादंसं जैर ट्रायल है तथा पुलिस थाना समदडी में धारा 13 आरपीजीओ एक्ट के दर्ज 02 प्रकरणो में सजा होना पाया गया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (v) राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम 1949 (1949 का राजस्थान अधिनियम संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार सिद्वदोष ठहराया जाने पर एवं इस धारा में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो तो उक्त अधिनियम के तहत उसके विरूद्व कार्यवाही करने का प्रावधान है। सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल के विरूद्व राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम के तहत

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाडमेर

02 प्रकरणो में सम्बन्धित न्यायालय से सजा हुई है। सायल द्वारा गैर सायल के विरूद्व दर्ज प्रकरणों की सूची में पारित निर्णय ईएक्सपी.11 एवं ईएक्सपी 13 अनुसार गैर सायल के विरूद्व 2 मुकदमों में सजा होना बताया है, ये दोनो मुकदमें राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम की धारा 13 के है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग सिवाना द्वारा निर्णय दिनांक 20.12.2014 एवं निर्णय दिनांक 31.8.2015 से गैर सायल को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया गया है। उक्त आपराधिक अभिलेख का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि गैर सायल का आचरण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (v) के प्रावधानो के तहत गुण्डा व्यक्ति जैसा होना प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में गैर सायल पवन कुमार उर्फ कालु पुत्र जीवाराम को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत एक माह की अवधि के लिए बाड़मेर जिला से निष्कासित कर, उसे जिला पुलिस अधीक्षक जालोर .के नियंत्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैर सायल जिला पुलिस अधीक्षक जालोर द्वारा निर्धारित पुलिस थाना में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। वह इस अवधि में नेक चलन रहेगा और सदाचार एवं शान्ति बनाये रखेगा। गैर सायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ, हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा। गैर सायल पवन कुमार उर्फ कालु इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका रूपये 10000/– एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 एवं नियम 18 के तहत पेश कर, तस्दीक करायेगा। गैर सायल को आदेश दिये जाते हैं कि वह तत्काल बाड़मेर जिला छोड़कर जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, अगर गैर सायल 15 रोज के भीतर इस आदेश की पालना नहीं करता है तो उसे पुलिस अभिरक्षा में जिला पुलिस अधीक्षक जालोर को सुपुर्द कर, पालना सुनिश्चित करावें।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 21.5.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.) बाड़मेर